न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 715–दो/01 विरूद्ध आदेश दिनांक 8–1–99 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा प्रकरण कमांक 330/अपील/92–93.

श्रीमती कलावती पत्नी बैजनाथ प्रसाद श्रीवास्तव
निवासी रायखोर तहसील रामपुर नैकिन
जिला सीधी

----- आवेदक

विरूद्ध

श्री जगन्नाथ तनय रामनारायण मिश्रा
निवासी ग्राम शिवराजपुर तहसील रामपुर नैकिन
जिला सीधी म.प्र.

------ अनावेदक

श्री एस. के. श्रीवास्तव, अधिवक्ता, आवेदक ।

:: आदेश ::

(आज दिनांक 06-अगस्त 2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 330/अपील/92–93 में पारित आदेश दिनांक 8–1–99 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि नायब तहसीलदार, रामपुर नैकिन द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का अतिकमण व्यवस्थापन आवेदिका के पक्ष में किया । इस आदेश के विरूद्ध एस.डी.ओ. के समक्ष की गई अपील में एस.डी.ओ. ने व्यवस्थापन आदेश निरस्त किया । एस.डी.ओ. के आदेश के विरूद्ध आवेदिका ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की जो उन्होंने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3– आवेदिका की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत सम्पूर्ण प्रकिया का पालन करने के उपरांत व्यवस्थापन आदेा दिया गया । दोनों अपीलीय न्यायालयों ने विचारण न्यायालय के

विधिपूर्ण आदेश को बिना न्यायिक विवेक का उपयोग किये निरस्त किया है । विवादित भूमि पर आवेदिका सन् 1965 से काबिज है इस आधार पर आवेदिका के भूमिहीन होने के कारण विचारण न्यायालय ने आवेदिका के पक्ष में अतिक्रमण व्यवस्थापन का आदेश दिया था । यह कहा गया है कि अनावेदिका अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थी और ना ही उसे एस.डी.ओ. के समक्ष अपील करने का अधिकार था इस विधिक स्थिति को दोनों अपीलीय न्यायालयों ने अनदेखा किया है । अनावेदिका ने जो अपील एस.डी.ओ. के समक्ष की थी वह अवधि बाह्य थी अवधि के प्रश्न का निराकरण किए बिना कोई आदेश नहीं दिया जा सकता किंतु इस प्रकरण में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अवधि के बिंदु का निराकरण किए बिना आदेश पारित किया गया है । उक्त आधारों पर उनके द्वारा अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के आदेशों को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है ।

4– अनावेदक प्रकरण में एकपक्षीय है ।

5– आवेदक अधिवक्ता के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण अतिक्रमण के व्यवस्थापन संबंधी है । प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी ने विचारण न्यायालय के आदेश में अनियमितता पाते हुए उसे निरस्त किया गया, उनके आदेश की पुष्टि आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा की गई है । अनुविभागीय अधिकारी ने यह पाया है कि आवेदिका का पति शासकीय सेवक होकर उसके नाम से भूमि है और उसका कब्जा 3.00 एकड़ पर है जबकि व्यवस्थापन 4.00 एकड़ पर किया गया है । उन्होंने यह भी पाया है कि प्रकरण में इश्तहार का प्रकाश विधिवत नहीं हुआ है तथा विवादित भूमि जंगल/झुड़पी दर्ज है जिसका व्यवस्थापन बिना नोईयत के नहीं किया जा सकता । अपर आयुक्त ने भी अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि आवेदिका द्वारा उक्त तथ्यों का खंडन नहीं किया गया और इस कारण उन्होंने एस.डी.ओ. के आदेश की पुष्टि की है । प्रकरण को देखने के उपरांत आलोच्य आदेश अभिलेख के आधार पर सुसंगत होकर पुष्टि योग्य है उसमें ऐसी कोई विधिक या सारवान त्रुटि नहीं है, जिस कारण हस्तक्षेप आवश्यक हो ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथ्ज्ञा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर